

प्रेषक,

शैलेश बगौली,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 16 मई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नगर पंचायतों का चुनाव के अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियन्त्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 602/रा0नि0आ0-ले0/2495/2018 दिनांक 29.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायतों का चुनाव अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट के सापेक्ष संलग्न विवरणानुसार धनराशि ₹ 3,91,46,000/- (₹ तीन करोड़ इक्यानव लाख छियालिस हजार मात्र) आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
  - व्यय करते समय समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
  - इस सम्बन्ध में वित्त विभाग शासनादेश संख्या-254/3(150)2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा तथा मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को आवश्यक रूप से उपलब्ध करा लिया जायेगा।
  - आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण, प्रपत्र-10 पर प्रत्येक माह प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय
- 2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 254/3(150)2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में प्रदत्त दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- एलोटमैण्ट आई0डी0 सं0- s...19050130017.....


भवदीय,

(शैलेश बगौली)  
सचिव

संख्या- 286/IV(2)- श0वि0-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 3- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-1/2 उत्तराखण्ड शासन।
- 7- संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के पोर्टल में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(डी0एम0एस0राणा )  
उप सचिव



आवंटन पत्र संख्या -01(Budget)18

अनुदान संख्या-013

**R.N. 286/1V(2)/2019 - 01 (बजट) 2018**

लेखा शीर्षक

2217-शहरी विकास

001-निदेशन एवं प्रशासन

00-नगर पंचायतों का चुनाव

आवंटन आई डी-S19050130017

आवंटन पत्र दिनांक-16-MAY-2019

80-General

03-नगर पंचायतों का चुनाव

Voted

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0
मानक मद का नाम												
पूर्व में जारी												
वर्तमान में जारी												
अब तक का व्यय												
योग												
01-वेतन												
02-मजदूरी												
03-महंगाई भत्ता												
04-यात्रा व्यय												
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय												
06-अन्य भत्ते												
07-मानदेय												
08-कार्यालय व्यय												
09-विद्युत देय												
10-जलकर / जल प्रभार												
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई												
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण												
13-टेलीफोन पर व्यय												
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद												
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान												
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व												
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय												
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति												
42-अन्य व्यय												
46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय												
47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय												
योग												

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,91,46,000 (Rupees Three Crores  
Ninety One Lacs Forty Six Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER